न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ....गुरचरन सिंह आदि.... बनाम ....बलवीर सिंह आदि....

प्रकरण संख्या ....03..../ 2023 अन्तर्गत धारा ....212 RTA....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
11/03/24	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 11 एस की जमाबन्दी संवत 2078 ता 2079 के खाता संख्या 88/89 के मु.न. 38 के किला नम्बर 11 ता 15 की भूमि को अप्रार्थीगण रहन बैय, वसीयत करने से बाज व ममनू रहे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए मिथ्या कथनों के मुताबिक प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA [illegible] भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार / खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:21 IST
Reason: SelfAttested